(6)

न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः—563/20 (जीसीएमएस नं. 2020/00483)

01 ओमप्रकाश राजोरिया पुत्र श्री दृदय सिंह राजोरिया उम्र करीब 72 साल,

02. श्रीमती अनिता रजनी पत्नी ओमप्रकाश राजोरिया उम्र करीब 60 साल,

03. विशाल राजोरिया पुत्र ओमप्रकाश राजोरिया उम्र करीब 30 साल जाति स्वर्णकार निवासीयान 267, आर्य नगर स्कीम नम्बर 1 अलवर।

——अपीलान्टस

बनाम

01. विक्रमसिंह पुत्र रामसिंह लोहिया उम्र करीब 48 साल निवासी लोहिया की प्याऊ बड़ पीपली, ग्राम भाखेडा तहसील व जिला अलवर हाल निवासी मन्नी का बड़ मनुमार्ग का तिराया अलवर तहसील अलवर जिला अलवर।

—— असल रेस्पोडेन्ट

02. तहसीलदार बतौर लैण्ड होल्डर तहसील अलवर जिला अलवर।

——तरतीबी रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः—

1. अपीलान्ट्स की ओर से श्री श्यामबाबू पारीक एडवोकेट
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से श्री हरिप्रसाद जांगिड एडवोकेट

निर्णय

दिनांक 04.08.2021

अपीलान्ट द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.01.2020 के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि असल रेस्पोडेन्ट जिसने अधीनस्थ के समक्ष एक प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के प्रस्तुत किया जिसमें केवल तहसीलदार लैण्ड होल्डर अलवर को बतौर अप्रार्थी पक्षकार बनाया है और हम अपीलान्ट्स को पक्षकार नहीं बनाया जब उक्त प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर के यहाँ विचाराधीन होने का अपीलान्ट को पता चलने पर अपीलान्ट्स की ओर से एक प्रार्थना पत्र आदेश—1 नियम—10 एवं धारा 151 जा.दी. का दिनांक 29.11.2018 को पक्षकार बनाये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया तब तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी ने दिनांक 17.12.2018 को अपीलान्ट को बतौर अप्रार्थी प्रकरण में पक्षकार बनाया जिसके बाद अपीलान्ट की ओर से प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का दिनांक 11.01.2019 को जवाब पेश किया किन्तु उक्त प्रकरण में अपीलान्ट को पक्षकार बनाये जाने से पूर्व ही रेस्पोडेन्ट ने तहसीलदार अलवर व अन्य राजस्व कर्मचारियों से साज—बाज होकर जो रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी की आज्ञा पर दिनांक 25.09.2018 की थी उस रिपोर्ट के सम्बन्ध में ऐतराज दिनांक 02.01.2019 को पेश किये क्योंकि तहसीलदार अलवर की रिपोर्ट हम प्रभावित पक्षकारों को बगैर सुने, हमारी गैर मौजूदगी में उपखण्ड अधिकारी अलवर के आदेश के विरुद्ध पेश की थी जो रिपोर्ट कतई मौके के विरुद्ध व गैर कानूनी है।

P.T.O.

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि बंदोबस्त विभाग की कार्यवाही सम्पूण होने के पश्चात् केवल नियमित वाद के द्वारा ही रिकार्ड दुरूस्त किया जा सकता है, धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र के आधार पर उपखण्ड अधिकारी को रिकार्ड दुरूस्त करने का कोई अधिकार नही है क्योंकि हाल नक्शा व साबिक नक्शा गत बन्दोबस्त सम्वत् 2020 बिलकुल समान है, भू प्रबन्ध विभाग ने साबिक नक्शे को ज्यो का त्यों रिपिट किया है, साबिक नक्शे में कोई चैंज नही किया गया है ऐसी सूरत में अधीनस्थ न्यायालय को रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम निरस्त फरमाया जाना चाहये था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार की रिपोर्ट जो कि एकतरफा में बगैर अपीलान्ट की मौजूदगी में विक्रम सिंह से साज–बाज होकर गलत तैयार की गई थी, को आधार मानकर अपना अपीलाधीन निर्णय दिया है जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि तहसीलदार की रिपोर्ट के सम्बन्ध में अपीलान्ट्स ने जो एतराज अपने प्रार्थना पत्र के जरिये दिनांक 02.01.2019 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किये गये थे उन एतराज प्रार्थना पत्र का अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने अपने निर्णय में कोई हवाला नही दिया है, जो कृत्य अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने जानबुझकर किया है, इस आधार पर भी अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र धारा 11 जा.दी. एवं प्रार्थना पत्र धारा 151, 152, 153 जा0 दी0 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम तीनों का एक साथ निर्णय किया है, जो कानून की दृष्टि से गैरकानूनी है, इस आधार पर भी अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने आगे कथन किया है कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 210 रकबा 0.97 हैक्टयर का रेस्पोडेन्ट विक्रम सिंह अकेला मालिक नही है बल्कि श्रीमती रेखा पत्नी चन्दन सिंह, लक्ष्य, गौरव पुत्रान चन्दनसिंह सोमवंशी 1/2 हिस्से के रिकार्डेड खातेदार है जिन लोगों ने यह प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम पेश नही किया है, इस आधार पर भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाऐ जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावें एवं अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.01.2020 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि अलवर तहसील के ग्राम भाखेडा के खसरा नम्बर 210 जिसका रकबा 0.97 हैक्टयर है, वह सम्वत् 2051 में साबिक खसरा नम्बर 144 मिन से बना है तथा मिन खसरा नम्बर 144 मिन सम्वत् 2020 में खसरा नम्बर 136 से बना है जिसे अपीलार्थी द्वारा भी अपनी अपील में स्वीकार किया गया है जिस पर असल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का व उसके पूर्वजों का पिछले 100

संभागीय आयुक्त

सालों से कब्जा काश्त शान्तिपूर्वक चला आ रहा है जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजातों के आधार पर प्रमाणित पाया गया है। उन्होने आगे कथन किया है कि खसरा नम्बर 210 वाके ग्राम भाखेडा मुताबिक जमाबन्दी रकबा 0.97 हैक्टयर है जबकि मुताबिक नक्शा उक्त खसरा नम्बर का रकबा 0.13 हैक्टयर है, इस प्रकार खसरा नम्बर 210 का रकबा 0.84 हैक्टयर नक्शे में कम अंकित है और जमाबन्दी व नक्शे के रकबा का मिलान नही होता है, उक्त गलती सम्वत् 2020 का नक्शा तैयार करते समय हुई जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक था। उन्होने यह भी कथन किया है कि खसरा नम्बर 199 का रकबा मुताबिक जमाबन्दी 0.11 हैक्टयर है जबकि नक्शा के अनुसार रकबा 0.51 हैक्टयर अर्थात 0.40 हैक्टयर रकबा अधिक है जिसे भी दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक था, खसरा नम्बर 200 की स्थिति भी मुताबिक जमाबंदी रकबा 0.09 हैक्टयर है जबकि नक्शा के अनुसार रकबा 0.06 हैक्टयर अर्थात 0.03 हैक्टयर रकबा कम है, खसरा नम्बर 206 का भी रकबा मुताबिक जमाबन्दी 0.47 हैक्टयर है जबकि नक्शा के अनुसार रकबा 0.69 हैक्टयर है अर्थात 0.22 हैक्टयर रकबा अधिक है, खसरा नम्बर 255 का रकबा मुताबिक जमाबन्दी 0.47 हैक्टयर है जबकि नक्शा के अनुसार रकबा 0.82 हैक्टयर है अर्थात इस प्रकार 0.35 हैक्टयर रकबा नक्शें में अधिक अंकित है, खसरा नम्बर 210 का वर्तमान राजस्व नक्शे के अनुसार रकबा 0.84 हैक्टयर कम है जबकि खसरा नम्बर 199 में वर्तमान नक्शे के अनुसार 0.40 हैक्टयर अधिक है व खसरा नम्बर 206 में रकबा 0.22 हैक्टयर अधिक व खसरा नम्बर 255 में 0.35 हैक्टयर रकबा अधिक अंकित किया गया है जो मिलान क्षेत्रफल के अनुसार हाल खसरा नम्बर 210, 199, 200, 206 एवं 255 के सम्वत् 2020 पूर्व खसरा नम्बरों से साफ जाहिर होता है कि सम्वत् 2020 से पूर्व उपरोक्त सभी खसरा नम्बरों की डोल आपस में लगती हुई थी तथा सम्वत् 2020 में नक्शा तैयार करते समय सहवन से हाल खसरा नम्बर का रकबा 0.97 हैक्टयर नही होकर 0.13 हैक्टयर ही नक्श में दर्ज हो गया व हाल खसरा नम्बर 199 का रकबा 0.11 हैक्टयर के बजाय 0.51 हैक्टयर व खसरा नम्बर 200 का रकबा 0.09 हैक्टयर के बजाय 0.06 हैक्टयर, खसरा नम्बर 206 का रकबा 0.47 हैक्टयर के स्थान पर 0.69 हैक्टयर व खसरा नम्बर 255 रकबा 0.47 हैक्टयर के स्थान पर 0.82 हैक्टयर हो गया इसके उपरान्त सम्वत् 2020 के नक्शे अनुसार सम्वत् 2051 का नक्शा तैयार हुआ जो गलत था। उन्होने कथन किया है कि उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्णयता प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातों के आधार पर दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर ही उक्त, अपीलाधीन निर्णय पारित किया जिसमें किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली एवं अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के संलग्न तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 24.10.18 एवं उसके संलग्न पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 25.09.2018 के अवलोकन से जाहिर होता है कि

हाल जमाबन्दी ग्राम भाखेडा सम्वत् 2069–2072 के खाता संख्या 271 पर दर्ज खसरा नम्बर 210 रकबा 0.97 हैक्टयर पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 विक्रम सिंह पुत्र रामसिंह हिस्सा 1/2 खातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा हाल राजस्व नक्शे में खसरा नम्बर 210 का रकबा 0.97 हैक्टयर नही होकर 0.13 हैक्टयर ही है जो कि नक्शे में रकबा 0.84 हैक्टयर मुताबिक जमाबन्दी के कम है, खसरा नम्बर 210 का रकबा मुताबिक जमाबन्दी 0.97 हैक्टयर व मुताबिक नक्शा 0.13 हैक्टयर है जिसमें 0.84 हैक्टयर कमी है, खसरा नम्बर 199 मुताबिक जमाबंदी रकबा 0.11 हैक्टयर एवं मुताबिक नक्शा 0.51 हैक्टयर है जो 0.40 हैक्टयर बेशी है, खसरा नम्बर 200 का रकबा मुताबिक जमाबन्दी 0.09 हैक्टयर एवं मुताबिक नक्शा 0.06 हैक्टयर है जो 0.03 कम है, इसी प्रकार खसरा नम्बर 206 मुताबिक जमाबन्दी रकबा 0.47 हैक्टयर है जबकि मुताबिक नक्शा रकबा 0.69 हैक्टयर है, जो 0.22 हैक्टयर बेशी है एवं खसरा नम्बर 255 का रकबा जमाबन्दी के मुताबिक 0.47 हैक्टयर मुताबिक नक्शा रकबा 0.82 हैक्टयर है जो 0.35 हैक्टयर बेशी है जिसे तहसीलदार ने नवीन नक्शा तैयार करते समय गलती भू प्रबन्ध विभाग द्वारा की जानी मानते हुए उक्त गलती को दुरूस्त करने की अभिशंषा की भी गई है। यदपि अपीलान्ट का दौरान बहस कथन रहा है कि उक्त तहसीलदार की रिपोर्ट एक तरफा एवं गैर कानूनी है किन्तु उक्त रिपोर्ट लैण्ड होल्डर के पास उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के आधार पर तैयार की गई है जिसे अपीलान्ट के कथन से असत्य नही माना जा सकता है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.01.2020 में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट्स खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.01.2020 को यथावत रखा जाता है।

4/8/2021

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 04.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

4/8/2021

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।